संख्या- 19/2023/001-60 3 2023 ई 2483745 सी 930147

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में सुनरख बांगर वृन्दावन-मथुरा में 1000 बेड की क्षमता के कृष्ण कुटीर आश्रय सदन के संचालन 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्रथम तिमाही हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-792-93/निदे०म०क०/अनुदान/कृ०कुटीर/2023-24, दिनांक 27-07-2023 के अनुक्रम में श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-27-वृन्दावन-मथुरा में निराश्रित महिलाओं के लिये 1000 बेड क्षमता के कृष्ण कुटीर आश्रय सदन का संचालन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0-60.00 लाख के सापेक्ष प्रथम तिमाही हेतु धनराशि रू0-15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइड लाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,00,000 ( रुपये पन्द्रह लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखाशीर्षक 2235021032700 वृन्दावन-मथुरा में निराश्रित महिलाओं के लिए 1000 बेड क्षमता के ''कृष्ण कुटीर आश्रय सदन'' का संचालन मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-19/2023/001-60 3 2023 ई 2483745 सी 930147, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।